राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2181/2010/चुरू

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक
चुरू .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री अमरचन्द पुत्र श्री शिवभगवान जाति सोनी,
   निवासी रतननगर, जिला चुरू
2. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री बंसतराम उर्फ बंसतलाल
   जाति सोनी, निवासी रतननगर, जिला चुरू .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री विनोद सोनी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

अनुपस्थित : अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक चुरू द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 27.07.2010 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक चुरू द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को निरस्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विक्रेता श्री महावीर प्रसाद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 832 की 14 बीघा 14 बिस्वा बारानी रोही रतननगर में स्थित उसके आधे हिस्से का विक्रय श्री अमरचन्द पुत्र श्री शिवभगवान जाति सोनी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1998 द्वारा किया गया। उपपंजीयक चुरू द्वारा आंतरिक लेखा जाँच दल के ऑडिट आक्षेप के आधार पर कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर के समक्ष मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(2) के अंतर्गत रेफरेन्स इस आधार पर प्रस्तुत किया कि राजस्व नक्शे के अनुसार क्रय की गयी सम्पत्ति 1 कि.मी. से कम दूरी व सड़क पर स्थित होने से सम्पत्ति का मूल्य रूपये 5,40,225/– बनता है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा यह मानते हुये कि खसरा नम्बर 832 की भूमि नगरपालिका सीमा से 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है, रेफरेन्स खारिज किया है जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी किन्तु बाद में अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार चुरू की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2007 के अनुसार विक्रयाधीन सम्पत्ति नगरपालिका रतननगर की सीमा से 1 कि.मी. के अन्दर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.10.2007 में भी राजस्व नक्शे के आधार पर भूमि नगरीय सीमा के 1 कि.मी. के अन्दर मानी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये भूमि को 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर मानते हुये रेफरेन्स खारिज किया है जो उचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कथन किया गया कि अपील मियाद बाहर है। देरी के समय में कोई स्पष्ट एवं मानने योग्य कारण अंकित नहीं किये है। कलेक्टर मुद्रांक ने प्रकरण संख्या 70/2007 निर्णय दिनांक 28.11.2007 में खसरा नम्बर 832 नगरपालिका सीमा से 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर माना है। जिसकी आगे कोई निगरानी नहीं की गयी है। इस प्रकार समान प्रकरण में निगरानी का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। इन्होनें अपने समर्थन में आर.आर.डी 206 पेज 385 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि क्रय की गयी भूमि रोही रतननगर खसरा नम्बर 832 नगरपालिका रतननगर की सीमा से 1 कि.मी. के अन्दर स्थित है या नहीं। ऑडिट आक्षेप में यह कहा गया है कि खसरा नम्बर 832 की राजस्व नक्शे के अनुसार नगरपालिका रतननगर की सीमा से दूरी 1 कि.मी. से कम है। रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय उपपंजीयक चुरू ने इसके समर्थन में मौका रिपोर्ट या राजस्व नक्शे की प्रति या नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऑडिट आक्षेप की पुष्टि होती हो। तहसीलदार चुरू की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2007 में खसरा नम्बर 832 की लोकेशन नगरपालिका की आबादी से करीब 1 कि.मी. की दूरी से कम होने का उल्लेख है परन्तु इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि नगरपालिका की सीमा में स्थित कौनसे खसरे से दूरी मापी गयी है व वास्तव में इससे खसरा नम्बर 832 कितनी दूरी पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन

लगातार.....3

निर्णय दिनांक 27.07.2010 में प्रकरण संख्या 70/2007 व 72/2007 निर्णय दिनांक 28.11.2007 के आधार पर खसरा नम्बर 832 को नगरपालिका सीमा से 1 कि.मी. से अधिक दूर माना है। प्रकरण संख्या 70/2007 के निर्णय में कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने यह माना है कि उन्होनें चुरू प्रवास के दौरान तहसीलदार से रोही रतननगर का राजस्व नक्शा मंगवाया जाकर मिलान करने पर पाया गया कि बिक्रीत खसरा नम्बर 832 रास्ते के अनुसार नगरपालिका सीमा से 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है, ऐसी अवस्था में अंकेक्षण आक्षेप के अनुसार भूमि को नगरपालिका सीमा से 1 कि.मी से कम दूरी की दरों से आंका जाना उचित नहीं होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने समान प्रकरण में खसरा नम्बर 832 को नगरपालिका रतननगर की सीमा से 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर माना है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे रेफरेन्स के तथ्य प्रमाणित होते हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी खारिज योग्य है।

: आदेश :

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटायी जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ समस्त संबंधित को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेत्थू राम)
सदस्य